

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1240
दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता

†1240. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के दूरस्थ, पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों, डॉक्टरों, विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता से संबंधित निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने हेतु कोई योजनाएं लागू कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के जनजातीय एवं दुर्गम बस्तियों में आपातकालीन देखभाल, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तथा संक्रामक रोगों के उपचार तक पहुंच में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण में असमानताओं को कम करने हेतु टेलीमेडिसिन, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तथा डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, देश भर में, दूरस्थ, पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन समीक्षा बैठकों, प्रमुख उपलब्धियों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण, सेवा प्रदायगी के लिए मानदंड निर्धारित करके और उपलब्धियों को पुरस्कृत करके प्रदर्शन को बढ़ावा देने आदि के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन), 2022-23, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित एक वार्षिक प्रकाशन है। दूरस्थ, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और विशेष मानव संसाधनों की उपलब्धता और कमियों का विवरण, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार, एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infr astructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23 RE%20%281%29.pdf>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है, यह मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

देश में उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को मजबूत करके कुल 1.82 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और संचालित किए गए हैं, जिनमें 178 जनजातीय जिलों में 30,817 एएएम शामिल हैं, जो निवारक, प्रोत्साहक, प्रशामक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, जनजातीय/पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए नियमों में ढील दी गई है। उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंड को घटाकर क्रमशः 3,000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है। प्रति 1,000 जनसंख्या के बजाय प्रति बस्ती एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की अनुमति है, और जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिले 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) तक की अनुमति है, जबकि मैदानी जिलों में यह संख्या 2 है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत 64,180 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और गहन चिकित्सा अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) के अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करना है, जो देश में आपातकालीन एवं गहन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत जनजातीय जिलों में 168 आईपीएचएल और 110 सीसीबी को मंजूरी दी गई है।

सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएच+एन) रणनीति के माध्यम से तमिलनाडु सहित पूरे देश में आदिवासी महिलाओं के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और परिवार नियोजन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है; जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जैसी योजनाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना; जनजातीय बस्तियों में आशा कार्यकर्ताओं और अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और जांच करना शामिल है।

जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर के सभी कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाओं से लोगों को अपने घरों के पास ही विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे वास्तविक पहुंच संबंधी समस्याओं, सेवा प्रदाताओं की कमी और निरंतर देखभाल की सुविधा जैसी चिंताओं का समाधान होता है। 31.12.2025 तक एएएम में कुल 42.66 करोड़ टेलीकंसल्टेशन किए गए हैं।

दुर्गम इलाकों वाले दूरदराज के गांवों जो अल्पसेवित और पहुंच से बाहर हैं में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की सहायता प्रदान की जाती है। एनएचएम-एमआईएस की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2025 तक तमिलनाडु सहित पूरे देश में कुल 1477 एमएमयू तैनात की जा चुकी हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा 15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जेएनएमएन) के तहत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) क्षेत्रों में प्रति जिले 10 एमएमयू तक एनएचएम मानदंडों में और छूट प्रदान की गई है। एमओटीए द्वारा निर्मित प्रत्येक बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी) के लिए एक अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के मानदंडों में ढील दी गई है। एमएमयू पोर्टल के अनुसार, 31.12.2025 तक जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएम-जनमन के तहत 763 एमएमयू और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत 155 एमएमयू देश भर में चालू हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है जो स्वास्थ्य इकोसिस्टम के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतरसंचालनीयता को सक्षम बनाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक का दीर्घकालिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाया जा सके, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ हो सके, जिसमें देखभाल की लागत को कम करना और सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बीच स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में अधिक दक्षता को सक्षम बनाना शामिल है।
